

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम हिण्डौन जिला करौली
सरकार जरिये तहसीलदार सूरीठ बनाम सुमर सिंघाने अक चिणपट
किस्म मुकदमा - प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट
मुकदमा नं. 182 / 2017

अदालत तारीख	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
----------------	-----------------------------------

13.04.22

उपरोक्त मुकदमा तहसीलदार सूरीठ ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत विरुद्ध अप्रार्थीगण इस न्यायालय में दिनांक 29.12.2017 को पेश किया। उक्त उनवानी प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 29.12.2017 को रिकार्ड में यथास्थिति बनाये रखने हेतु स्थगन आदेश जारी किया गया है। स्थगन आदेश होने के कारण उक्त प्रकरण में तहसीलदार सूरीठ ने रिकार्ड में तब्दीली करने में असमर्थता जाहिर की है तथा पत्रावली का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट जाहिर है कि उक्त प्रकरण धारा 136 एल.आर.एक्ट की श्रेणी में नहीं आता है। इसलिए राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सूरीठ की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है साथ ही तहसीलदार सूरीठ को निर्देशित किया जाना भी न्यायोचित है कि उक्त प्रकरण में पटवारी हल्का एवं गिरदावर हल्का से रिकार्ड एवं मौके की जाँच पडताल करते हुए प्रकरण का नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही सेग्रीगेसन के अन्तर्गत करते हुए ऑनलाईन रिकार्ड में दुरुस्ती करें।

अतः राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सूरीठ की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट खारिज किया जाता है तथा मूल पत्रावली तहसीलदार सूरीठ को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त प्रकरण में पटवारी हल्का एवं गिरदावर हल्का से रिकार्ड एवं मौके की जाँच पडताल करते हुए प्रकरण का नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही अपने स्तर पर सेग्रीगेसन के अन्तर्गत करते हुए ऑनलाईन रिकार्ड में दुरुस्ती करें तथा उक्त प्रकरण में दिनांक 29.12.2017 को जारी स्थगन आदेश विद्द्रो किये जाते हैं। पत्रावली फँसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनुपसिंह)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

